N.T.P.C. Employees Transferred to N.P.T.C.

2784. SHRI M.A. BABY: Will the MINISTER OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the newly formed National Power Transmission Corporation is facing a lot of technical and legal problems for a smooth take off;

(b) whether it is also a fact that employees of National Thermal Power Corporation, Transmission Wing were transferred enmarse to N.P.T.C. without giving any career options;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether Government guidelines on reservation are being strictly followed in recruiting employees in National Power Transmission Corporation;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALPNATH RAI): (a) The National Power Transmission Corporation (NPTC) has already taken over the management of transmission system along with associated manpower from NTPC, NEEPCO and NHPC. The transfer of the associated manpower from these public undetakings to NPTC is subject to the outcome of the CW 2377 of 1991 (Corporate Executive Association NTCP vs. Union of India & Others) pending before the High Court of Delhi and Civil Rule No. 3284/91 (CR. Borgohain, President of the Association of Engineers, NEEPCO Ltd. vs. Union of India & Others) pending in the Guwahati High Court.

(b) and (c) Employees identified to be directly and exclusively engaged in the transmission system establishment of NTPC, were absorbed in NPTC without any break in service with effect from 16.8.1991. NPTC had adopted the terms and conditions of employment including pay structure, DA pattern, personnel policies and other benefits in toto from NTPC, NPTC has taken over the management of entire transmission system as a running business from NTPC in which these personnel were engaged. Thus their absorption in NPTC has not really resulted in change in the nature of their duties their pay and allowances. In view of this fact, the options had not been asked from the employees transferred from NTPC to NPTC.

(d) to (f) As indicated in reply to para 'b' of the question, the bulk of the personnel in NPTC are transferred from constituent organisations in Central Sector i.e., NTPC, NHPC, NEEPCO, NPTC, as such, resorted to direct recruitment to bare minimal for constituting a nucleas set up at Corporate Centre. Out of 123 personnel directly recruited so far, 8 nos. belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe category. The remaining vacancies as per the reservation policy are being carried forward and appropriate action for filling up these, shall be taken once the Writ Petition pending before the Delhi Court is disposed off.

रिहन्द जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश का हिस्सा

2785. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर:** क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मध्य प्रदेश में बिजली के अभाव के बने रहने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में रिहन्द जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पन्न बिजली में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है परन्तु गत कई वर्षों से इस राज्य को इसका उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है; यदि हां, तो मध्य प्रदेश को उसके हिस्से की विद्युत की

सुनिश्चित कराने हेतु केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

(ग) जी, हां। रिहन्द जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भागीदारी हेतु उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच एक समझौते में यह व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा रिहन्द की विद्युत में से मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को इसका देय हिस्सा सप्लाई न किए जाने की अवस्था में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस प्रकार की विद्युत के लिए सम्मत शर्तों पर प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस मामले को उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा आपसी विचार-विमर्श के आधार पर हल किया जाना है।

राज्य सरकारों की ओर एन०टी०पी०सी० की बकाया राशि

2786. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन०टी०पी०सी० को कई राज्य सरकारों से अपनी बकाया राशि वसूल करनी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एन०टी०पी०सी० अलग-अलग राज्य सरकारों को अलग-अलग दरों पर बिजली देती है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार इसमें समानता लाने का प्रयास करेगी?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत केन्द्रों से संबंधित टैरिफ का निर्धारण केन्द्रवार किया जाता है। किसी केन्द्र से विद्युत प्राप्त करने वाले सभी राज्यों से प्रभारों की वसूली, संबंधित विद्युत केन्द्र के लिए लागू टैरिफ के अनुसार एक समान दर पर की जाती है। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की बिक्री हेतु सिद्धान्तों एवं टैरिफ संबंधी मानदण्डों का निर्धारण करने के लिए गठित के०पी० राव समिति की सिफारिशों (जून, 1990) को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के साथ कई बार परामर्श करने के बाद कुशल प्रचालन एवं सीमान्त लागत संबंधी हित के सन्दर्भ में राज्यों को विद्युत की बिक्री के लिए 1 अप्रैल, 1991 के विद्युत उत्पादन की सीमान्त लागत के आधार पर केन्द्रवार टू-पार्ट टैरिफ लागू किए जाने का निर्णय किया गया था।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया राशियों का राज्यवार ब्यौरा (31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	राज्य/राज्य बिजली बोर्ड	राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.54
2.	बिहार	192.34
3.	गुजरात	51.18
4.	गोवा	(—)0.51
5.	हरियाणा	77.82
6.	हिमाचल प्रदेश	8.40
7.	जम्मू एवं कश्मीर	48.93
8.	कर्नाटक	0.73
9.	केरल	22.39
10.	मध्य प्रदेश	158.88
11.	महाराष्ट्र	39.69
12.	उड़ीसा	3.99